प्र.सं. 17/2020 हरजी बनाम बक्षुनाथ व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भारतसिंह का गुड़ा में आराजी नंबर 159 रकबा 0.18 एवं आराजी नंबर 160 रकबा 0.15 कुल किता 2 रकबा 1.13 बीघा भूमि स्थित है, जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति रायमल, हजारी पिता कृश्णा बलाई के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, जिसका विक्रय इकरारनामा सवर्ण जाति के बक्षुनाथ पिता भभूतनाथ जोगे वर के पक्ष में वर्श 1987 में हुआ। उक्त दोनों आराजियात पर बक्षुनाथ का कब्जा है। बेचानकर्ता की मृत्यु होकर उसके वारिसान के नाम उक्त आराजियात दर्ज हुई, जो अनुसूचित जाति के हैं। विक्रेता अनुसूचित जाति के तथा क्रेता अन्य पिछडा वर्ग के सदस्य होने से उक्त विक्रय राजस्थान का तकारी अधिनियम की धारा 175 के विपरीत होने से खातेदार एवं कब्जेदार को बेदखल कर भूमि कब्जेराज ली जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब विपक्षी बक्षुनाथ द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि देवस्थान की थी लेकिन राजस्व अधिकारियों की भूल से अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज हो गयी, जबकि कब्जा क्रेता का है। प्र नगत भूमि यदि कालीमाता मन्दिर अथवा राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज की जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.09.2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि से विपक्षी को बेदखल कर भूमि कब्जेराज लेने का आदे ा दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट हरजी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 22.10.2020 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय की जानकारी उन्हें दिनांक 05.09.2020 को हु[illegible] जा[illegible]सकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अत[illegible] की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली की	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:07:11 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन किया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा धारा 96 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि के खातेदार होकर कब्जा उनका है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होने से उन्हें अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार हैं। अतः उक्त आवेदन स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्र न है, दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट विवादित आराजियात का खातेदार का तकार है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे बिना पक्षकार बनाये एवं बिना सुने भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गयी हैं। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्ट विवादित भूमि खातेदार थे, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये भूमि बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदे ा दे दिये, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण सं. 11/2019 निर्णय दिनांक 11.09.2019 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर एवं सुनकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.02.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:07:13 IST
Reason: SelfAttested

(एम ... चौहान)
... अधिकारी
एवं ... राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर